

परिशिष्ट - 'अ'

गामा

पृथग्विपुत्रिका क्र: सभापञ्चमसं १५४९-१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो उच्च शिक्षण 2. वर्तमान पद अध्यापक

3. वर्तमान वेतन 1,54,400/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संघर्ष स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योम		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो परंतु यह कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ••••• खोले, पट्टा, बंधक, धारणित, पेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योम	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिपुत्रिका
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil							

नहीं। लागू न हो काट दीजिए।

••••• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आदर्श में सापण मूल्य यथासाध्य ज्ञाप।

••••• इसमें अत्युक्तानि, पट्टे भी सम्पत्ति है।

••••• मध्यदेश शासकीय सेवक (अन्यथा) नियम, 1958 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवृत्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार भर्ती की अवधि के परमाणु वर्ष घोषणा-पत्र पर कर प्रवृत्ति करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अपना उस विवरण में मिली या उतारी: अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा संपत्ति के व्योम दें।

अनुभाग अधिकारी
रघुल शिखा विभाग

हस्ताक्षर AT
नाम अ. उ. उ.
पद अधीक्षक

गावा

पंचायत नियुक्तिका क्र: १३३७-७८

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

अज्ञेय कुका [प्रादेशीय] वर्धमान गाँव पर

अज्ञेय कुका

३. वर्तमान वंश

अज्ञेय कुका [प्रादेशीय] की वारिस

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा गाँव का नाम जिसमें संबंधित स्थिति स्थित हो	संबंधित का नाम तथा पद		प्राप्त	वारिसा मूल्य	परि स्वयं के नाम पर न हो तो वारिसद्वारे कि वह किसके नाम पर वर्तमान है और उत्तरदाता शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसी जिले प्रकार अर्जित किया गया पद का नाम, जिसमें वर्तमान पर कार्य कर रहा है तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा पद	संबंधित से संबंधित आय	अभियुक्तिका
	पद तथा अन्य पद	वर्ष						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
उप संभाग विशेष जिला अज्ञेय		2000944 वर्ष 2148 कोट	63,000/-	—	वैजय चंभु वैश्विड 24.01.1972	—	—	—

जहाँ लागू न हो काट दी जाए।

एसे मामले में जहाँ मूल्य का राशि-सही विवरण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के राशि में लागू मूल्य दर्शाया जाए।

यसमें अस्तवकालीन पदों की संज्ञकित है।

व्यवस्था: मजदूरी शासकीय सेक्टर (जवतला) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन काम केगी किंतु सेवा के प्रत्येक मास में वह अवशिष्ट है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अर्थात् के परमाणु वह 10000-44 पर कर प्रस्तावकों और उसमें वह उनके स्थापित की तथा उसके द्वारा अर्जित आयका उस विवरण में लिखी या उराले अन्य नाम पर का उल्लेख संविधान के किसी भाग के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पदों का उल्लेख पर उसके द्वारा प्रति समता अपरत संविधान के अधीन है।

रक्षा

अज्ञेय कुका 91053

अज्ञेय कुका

अज्ञेय कुका अधिकारी
रक्षित शिक्षा विभाग

गामा

पुश्पा नियुक्ति के समय गवर्नर सिफारिश का दिनांक, यद् २०१७-१८

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, निर्धारित करें: रविशंकर ठाकुर पद: प्रशासक (P.S)

3. वर्तमान वेतन: 77000/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख: 21/11/18 2. वर्तमान पद का वेतन: 77000

उसी विधि, उस संयोग, तारीख को नए नाम का संशोधन संशोधित स्थिति हो	संशोधित का नाम तथा स्वी.		संशोधन पद	पूजा	वर्तमान वेतन	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो यादीकरण कि वह किसके नाम पर किया है और उसका आधिकारिक कर्मचारी से यथा संबंध है	उसी दिनांक प्रकार अधिष्ठित किया गया ... जहाँ पर प्रस्ताव उपर्युक्त दिनांक पर न अन्य दिनांक देकर से तथा अधिन की तारीख और किसी अधीन की गई हो उसका नाम तथा स्वी.	संशोधित से युक्ति का नाम	अधिकाधिक
	(1)	(2)							
<u>जोर्डन फिश्य</u> <u>अंतर्गत</u>	<u>डा. जे. एस. शर्मा</u> <u>आई. एस. शर्मा</u> <u>अंतर्गत</u>	-	<u>810025</u>	-	-	<u>वेतन, कटौत उत्पादन के अनुसार नया श्रेणी संशोधित से।</u>	<u>श्री. -</u>		

... जहाँ 'तथा' न हो कर दीजिए।
... ऐसे मामले में जहाँ मुख्य का शरीर-सही नियुक्ति का नाम संशोधन न हो, वहाँ वर्तमान नियुक्ति के तदनुसार में तदनुसार मुख्य वर्तमान में।
... इसमें अनुसंधान परदे भी सम्मिलित है।
... विवरण : माध्यमिका शासकीय संयुक्त (अन्यथा) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रत्याप्त होने, निर्धारित सेवा के प्रकार (नियम) से परे
अधीन है कि वह सेवा में प्रवृत्ति नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चार वर्षों की अवधि के परामर्श पर भी प्रवृत्ति की सीमा
उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उनके द्वारा अधिष्ठित अवधि का अतिरिक्त करके किया जा सकता है।
पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या संबंध पर उनके द्वारा प्रहित संशोधन अथवा संशोधित से नहीं है।

रक्षक : रविशंकर ठाकुर पद : प्रशासक (P.S)
दिनांक : 21/03/2018
पद : प्रशासक (P.S)